

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2015

विषय: पशु सेवा केन्द्र, कैम्पटी एवं पशु सेवा केन्द्र, भवान, टिहरी गढ़वाल को पशुचिकित्सालय में उच्चीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4577/पशुधन-तीन/प०चि०नि०/2014-15 दिनांक 31 जनवरी, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत पशु सेवा केन्द्र कैम्पटी एवं पशु सेवा केन्द्र, भवान, टिहरी गढ़वाल को पशुचिकित्सालय में उच्चीकृत करते हुए प्रत्येक पशुचिकित्सालय हेतु निम्नानुसार अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में सृजित करने के साथ-साथ दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक के लिए बशर्ते कि इससे पूर्व इन्हें समाप्त न कर दिया जाये, सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1.	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2	02	₹ 15600-39100 ग्रेड पे 5400	
2.	वैटनरी फार्मसिस्ट	02	₹ 9300-34800 ग्रेड पे 4200	पशुचिकित्सालयों के संचालन हेतु पशु सेवा केन्द्र, कैम्पटी तथा भवान हेतु पूर्व सृजित पशुधन प्रसार अधिकारी के स्वीकृत पद को वैटनरी फार्मसिस्ट के पद पर परिवर्तित किया जाता है।
3.	अनुसेवक	02		आउटसोर्सिंग के माध्यम से
4.	स्वच्छक	02		आउटसोर्सिंग के माध्यम से
	योग	08		

2. पशुचिकित्सालय कैम्पटी तथा पशुचिकित्सालय भवान, टिहरी गढ़वाल के संचालन हेतु पशु सेवा केन्द्र क्रमशः कैम्पटी तथा भवान, टिहरी गढ़वाल के लिए पूर्व सृजित पशुधन प्रसार अधिकारी के स्वीकृत पद को वैटनरी फार्मसिस्ट के पद पर परिवर्तित किया जाता है।

3. उक्तांकित पशुचिकित्सालय में सफाई आदि का कार्य out sourcing के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा।

4. उक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के विभिन्न सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के. अशासकीय संख्या-68(NP)/XXVII(4)/2015 दिनांक 2 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से किये जा रहे हैं।

भवदीय,
30/3/2015
(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या: 324 (1) / XV-1/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, टिहरी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी।
5. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, टिहरी।
6. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग।
9. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव